

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 23/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आईआईएफएल होम फाईनेन्स लिमिटेड, शाखा कार्यालय 4<sup>th</sup> फ्लोर, विनायक हाईदस, गौतम मार्ग,  
वैशाली नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री लोकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री केदारनाथ शर्मा
2. श्रीमती कृष्णा कुमारी मुदगल पत्नी श्री लोकेश कुमार शर्मा  
पता :- फ्लेट नं. टी-1, प्लॉट नम्बर 492, स्वर्ण विहार, मुहाना मण्डी, जयपुर।  
एवं युनिट नम्बर टी-4, तृतीय तल, प्लॉट नम्बर 492, स्वर्ण विहार, सांगानेर, मुहाना मण्डी के पास,  
हाज्यावाला, जयपुर।  
लोकेश कुमार व अजय कुमार  
पता :- दुकान नम्बर 27, कल्याण नगर, रामपुरा रोड, जयपुर।  
एवं युनिट नम्बर टी-4, तृतीय तल, प्लॉट नम्बर 492, स्वर्ण विहार, सांगानेर, मुहाना मण्डी के पास,  
हाज्यावाला, जयपुर।



The application under section 14 of The  
Securitisation and Reconstruction of Financial  
Assets and Enforcement of Security Interest Act,  
2002

अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर

1. श्री कुलदीप शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 01.02.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.02.2022 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती कृष्णा कुमारी मुदगल के स्वामित्व की संपत्ति युनिट नम्बर टी-4, तृतीय तल, प्लॉट नम्बर 492, स्वर्ण विहार, सांगानेर, मुहाना मण्डी के पास, हाज्यावाला, जयपुर, क्षेत्रफल 1050 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल राशि 18,71,138/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 14.09.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर



1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राणी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 18,71,138/- रुपये का ऋण दिया है। जिसकी प्रतिशुद्धि जमानत के कथ में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित संपत्ति बचक के कथ में प्राणी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खता एन पी ए घोषित होने से निगमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 20,21,100/- रुपये की ऋण शुद्धि जमा करने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 14.09.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नॉटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उनका नॉटिस का वित्तीय संस्था को कोई उत्तर नही दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बचक राशि गई संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के कथ में बचक राशि गई संपत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक जमा के तत्पश्चात है। एलिकुल अधिकारी ने धारा 14 के प्रावधान में अंतरावक राज्य प्रस्तुत कर दिया है।

4. अंतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना एवं स्वीकार्य कर प्राणी वित्तीय संस्था के कथ में अग्रणी कृषक कुशली भुदगत के संपत्तिव की बचक संपत्ति शुद्धि नम्बर 01-4, पुराणित तल, पनात नम्बर 882, सर्व विहार, सांगमने, मुझान भाडी के पास, राजधानी, जयपुर, राजस्थान 3030 सर्वोचित का भौतिक रूप से कब्जा प्राणी वित्तीय संस्था द्वारा अधिभूत संपत्तिव प्राप्त प्राप्त किसे जमा के अंतर्गत दिसे जमा है।

5. अंतर्गत की प्राणि संपत्तिव शुद्धिव उपर्युक्त जयपुर शहर/पुराण अधिकांक जयपुर प्राणीग को पेश कर दिया जाई की उक्त संपत्तिव का कब्जा प्राणी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में बाधयोग कर वित्तीय संस्था को दिनांक हेतु संपत्तिव संपत्तिविकारी को निर्देशित कर एवं धारणा रिपोर्ट निजामने प्रस्तुत करे। अंतर्गत की प्राणि संपत्तिव का कब्जा जमा है। पत्रावली नम्बर से कथ होकर दाखिल की।



दिनांक 01.09.2024 को करें इजाजत मुकदमा नं. 1

(प्रकाश राजगुर्जर)

जिला मजस्ट्रेट

(कलक्टर) जयपुर